न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर 7-4-22 26-7-22 19-10-22

न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

सप्लाई विविध प्रकरण संख्या : 01/2022

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर		राधादेवी पत्नि राजुराम निवासी हरिजन बस्ती,भदवासिया फाटक महामन्दिर जोधपुर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थितिः
1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार श्री पुष्पराज पालीवाल प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर उपस्थित।
2 अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गणेश प्रजापत अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 13/2/26

प्रार्थी राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं प्रदाय नियन्त्रण) आदेश 2000 के अन्तर्गत अप्रार्थी राधादेवी पत्नि राजुराम निवासी हरिजन बस्ती, भदवासिया फाटक महामन्दिर जोधपुर के विरूद्ध यह प्रकरण जब्तसुदा 15 घरेलु गैस सिलेण्डरों तथा 01 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर को राज्यसात करने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज.)

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 08.01.2022 को शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जांच में सांसी कॉलोनी, भदवासिया महामन्दिर जोधपुर स्थित मकान पर अप्रार्थी राधादेवी पत्नि राजुराम को उपस्थित पाया, मकान की जांच करने पर कुल 15 घरेलु गैस सिलेण्डर तथा 01 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर अवैध रूप से भण्डारित किए हुए पाये गये। जिसके संबध में राधादेवी द्वारा कोई वैद्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये और न ही कोई स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ।
प्रवर्तन निरीक्षक, कार्यालय जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर द्वारा मौका फर्द तैयार की गई।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

मौके पर पाये गये कुल 15 घरेलु गैस सिलेण्डरों तथा 01 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर का विवरण इस प्रकार हैः–

क्र. स.	गैस कम्पनी का नाम	एस.आर. नम्बर	खाली सिलेण्डर का वजन	कुल वजन मय गैस	गैस का वजन (किलो में)
1.	इण्डेन	137230	15.4 कि.ग्रा.	26.0 कि.ग्रा.	10.6 कि.ग्रा.
2.	भारत	396819	15.4 कि.ग्रा.	28.5 कि.ग्रा.	13.1 कि.ग्रा.
3.	भारत	61898	16.7 कि.ग्रा.	30.0 कि.ग्रा.	13.3 कि.ग्रा.
4.	भारत	532571	15.6 कि.ग्रा.	29.0 कि.ग्रा.	13.4 कि.ग्रा.
5.	भारत	003841	15.5 कि.ग्रा.	29.0 कि.ग्रा.	13.5 कि.ग्रा.
6.	भारत	257407	15.8 कि.ग्रा.	29.0 कि.ग्रा.	13.2 कि.ग्रा.
7.	भारत	338675	15.4 कि.ग्रा.	29.20कि.ग्रा.	13.8 कि.ग्रा.
8.	भारत	384197	15.8 कि.ग्रा.	28.0 कि.ग्रा.	12.2 कि.ग्रा.
9.	भारत	423877	17.3 कि.ग्रा.	30.0 कि.ग्रा.	12.7 कि.ग्रा.
10	भारत	796612	15.5 कि.ग्रा.	28.20कि.ग्रा.	12.7 कि.ग्रा.
11	भारत	291032	15.3 कि.ग्रा.	27.0 कि.ग्रा.	11.7 कि.ग्रा.
12	भारत	393516	15.8 कि.ग्रा.	28.0 कि.ग्रा.	12.2 कि.ग्रा.
13	भारत	476288	15.7 कि.ग्रा.	29.0 कि.ग्रा.	13.3 कि.ग्रा.
14	भारत	578779	15.4 कि.ग्रा.	28.0 कि.ग्रा.	12.6 कि.ग्रा.
15	भारत	12880	15.4 कि.ग्रा.	29.0 कि.ग्रा.	13.6 कि.ग्रा.
16	इण्डेन	694344	19.4 कि.ग्रा.	38.0 कि.ग्रा.	18.6 कि.ग्रा.

उक्त 15 घरेलु गैस सिलेण्डर व 01 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर को जब्त कर श्री भोमसिंह प्रतिनिधी मारवाड गैस एजेन्सी जोधपुर को सुपुर्द किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त 15 घरेलु गैस सिलेण्डर व 01 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया जो कि द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी द्वारा धारा 6(ए) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जब्त उक्त कुल 16 गैस सिलेण्डरों को राज्यसात् किये जाने की प्रार्थना की गई।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज०)

प्रकरण में प्रार्थी विभागीय पेरोकार की बहस सुनी गयी। प्रार्थी विभागीय पेरोकार श्री पुष्पराज प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा वक्त जांच मौके पर उक्त 16 गैस सिलेण्डरो का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है जिसके कारण जब्त उक्त कुल 16 गैस सिलेण्डर को राज्यसात किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अप्रार्थी को न्यायालय हाजा से जारी नोटिस क्रमांक 127 दिनांक 13.06.24 अप्रार्थी के पति द्वारा तामिल होकर प्राप्त हुआ। नोटिस तामिली उपरान्त अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता गणेश कुमार प्रजापत द्वारा न्यायालय हाजा में वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। गत 01 वर्ष से प्रकरण में जवाब अप्राप्त। अप्रार्थी अधिवक्ता एंव अप्रार्थी स्वंय बावजूद सूचना न्यायालय में वक्त पेशी अनुपस्थित रहे। वक्त सुनवाई आवाज दी गई परन्तु अप्रार्थी/अधिवक्ता अनुपस्थित।

"निर्णय"

हमने विभागीय पेरोकार की बहस सुनी तथा तथ्यों पर मनन करते हुए प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार स्पष्ट है कि वक्त जांच मौके पर अप्रार्थी राधादेवी पत्नि राजुराम निवासी हरिजन बस्ती, भदवासिया फाटक महामन्दिर जोधपुर द्वारा उक्त 16 गैस सिलेण्डरों का बिना वैद्य दस्तावेजों के अवैध भण्डारण किया गया है। मौका फर्द अनुसार जब्तसूदा सिलेण्डर में नाप किये जाने पर कुछ सिलेण्डरों में गैस की मात्रा निर्धारित माप से कम पाई गई जो कि उक्त जब्तसूदा सिलेण्डरों का भण्डारण अवैध गैस रिफलिंग कार्य की मंशा से किया जाना भी स्पष्ट होता है। जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है।

अतः प्रार्थी सरकार ज़रिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तसुदा 15 घरेलु गैस सिलेण्डर व 01 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर को राज्यसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त जब्तसुदा कुल 16 गैस सिलेण्डरों का नियमानुसार निस्तारण किया जाकर राशि राज्य कोष में जमा कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/2/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलेक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज.)

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलेक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अपर जिला कलेक्टर (द्वितीय)
जोधपुर